

सिगनल एवं दूरसंचार (सि एवं दू) विभाग

ठेकेदारों के पंजीकरण संबंधी नीति परिपत्र

1. प्रस्तावना

- 1.1. सीमित निविदाओं के साथ निपटने की नीति में शामिल निम्नलिखित मुद्दे -
 - i) अनुमोदित सूची में ठेकेदारों के पंजीकरण /अपग्रेडेशन के लिए दिशानिर्देश।
 - ii) अनुमोदित सूची से ठेकेदारों के नाम हटाने के लिए दिशानिर्देश।
 - iii) के.आर.सी.एल के सिगनल एवं दूरसंचार (सि एवं दू) विभाग में खुली लाइन / निर्माण / परियोजना संगठन के विभिन्न (सि एवं दू) कार्यों के लिए निविदा जारी करने के संदर्भ के मुद्दों के लिए दिशानिर्देश।
- 1.2. यह नीति ठेकेदारों के पंजीकरण और खुली लाइन / निर्माण / परियोजना कार्यों में सि एवं दू के कार्यों के लिए निविदा सूचना जारी करने के लिए है।
- 1.3. यह परिपत्र इस संबंध में पहले से जारी किए गए अन्य सभी दिशानिर्देशों का अधिक्रमण है।
- 1.4. समय - समय पर जारी की गई कार्यों के लिये 'शक्तियों की सूची' (एस.ओ.पी) का प्रयोग उपरोक्त विषयों पर 'अधिकार सौंपने' के लिए होगा।

2. आवेदकों के लिये सामान्य जानकारी:

- 2.1. इच्छुक सि.एवं.दू. ठेकेदारों /एजेंसियों से कोकण रेलवे कोर्पोरेशन लिमिटेड की 'ठेकेदारों की अनुमोदित सूची' (ए.एल.सी) में पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित हैं।
- 2.2. आवेदन निर्धारित प्रारूप में, 'अधिकृत हस्ताक्षरितों' के हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत करे ।
- 2.3. आवेदक कृपया ध्यान दें कि उनके आवेदन में केवल तथ्यात्मक रूप से सही जानकारी दी गयी हो । गलत जानकारी का पता लगने की स्थिति में, एजेंसी को या तो अयोग्य ठहराया जा सकता है या अनुमोदित सूची से उसका नाम रद्द किया जा सकता है या काली सूची में शामिल किया जा सकता है।
- 2.4. पंजीकरण / अपग्रेडेशन के आवेदन प्राप्त होने पर कॉर्पोरेट कार्यालय में उसकी छानबीन की जायेगी । आवेदन में अगर कोई कमी पाई जाती है तो उसे आवेदक के पास इस सलाह के साथ लौटा दिया जायेगा की वह सारी कमियों को सुधारने के बाद आवेदन पुनः प्रस्तुत कर सके। आवेदन सभी आवश्यकताओं के परिपूर्ण होने के बाद ही आगे की कार्रवाई के लिये दर्ज किया जाएगा ।

- 2.5. ठेकेदारों का उनके संगठन, पिछले अनुभव, तकनीकी योग्यता और वित्तीय क्षमताओं के आधार पर मूल्यांकन निर्धारित कर उनकी अनुबंध प्रदान करने की 'पात्रता सीमा' का पंजीकरण किया जायेगा।

3. पंजीकरण की श्रेणिया / वर्ग:

3.1. पंजीकरण की श्रेणी :

ठेकेदार की कार्य करने की क्षमता और कार्य के अनुमानित मूल्य के आधार पर "ठेकेदारों की अनुमोदित सूची (ए.एल.सी)" को चार अलग अलग श्रेणी में रखा जाएगा । ठेकेदार की न्यूनतम श्रेणी पात्रता और कार्य का अनुमानित मूल्य इस प्रकार हैं ।

श्रेणी	कार्य का अनुमानित मूल्य
ए	₹ 50 लाख से अधिक और ₹ 1 करोड़ तक
बी	₹ 25 लाख से अधिक और ₹ 50 लाख तक
सी	₹ 10 लाख से अधिक और ₹ 25 लाख तक
डी	₹ 10 लाख तक

3.2. पंजीकरण के वर्ग

विभिन्न श्रेणियों के तहत पंजीकरण के निम्नलिखित वर्गों को अपनाया जाएगा ।

(i) इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग का प्रावधान (इंडोर और आउटडोर)

इस श्रेणी में शामिल संपूर्ण आपूर्ति, स्थापना, एकीकरण, परीक्षण, कमीशनिंग और रखरखाव से संबंधित कार्य इस प्रकार हैं :

1. स्टेशन क्षेत्र में बाहरी सिग्नलिंग गियर्स ।
2. स्टेशन पर पैनल इंटरलाकिंग का रिले द्वारा (आंतरिक) कार्य।
3. एस.एम.पी.एस आधारित एकीकृत बिजली आपूर्ति की प्रणाली ।
4. गर्मी, धुआं, फ्यूज फेल, कम वोल्टेज चेतावनी आदि के लिए निगरानी और अलार्म प्रणाली ।
5. बाहरी सिग्नलिंग और दूरसंचार केबलों (तांबा, ओएफसी आदि) को बिछाने / सुदृढीकरण का कार्य ।

6. स्टेशनों पर डाटा लॉगर प्रणाली ।
7. 25 केवीए क्षमता तक के डीजल जनरेटर सेट ।
8. स्टेशनों पर प्वाइंट मशीनें ।
9. यांत्रिक/ विद्युत संचालित समपार फाटक (खोलने / बंद करने का) तंत्र.
10. भितरी सिग्नलिंग (सर्किटों / योजनाओं / आरेख) और बाहरी योजनाओं / आरेखों का आरेखन
11. ब्लॉक उपकरण ।
12. कोई भी अन्य सिग्नलिंग संबंधित कार्य जो ऊपर शामिल नहीं किया गया हो ।

(ii) टेलीकॉम तथा कंप्यूटर नेटवर्किंग

इस श्रेणी में शामिल संपूर्ण आपूर्ति, स्थापना, एकीकरण, परीक्षण, कमीशनिंग और रखरखाव से संबंधित कार्य इस प्रकार हैं:

1. टेलीकॉम और कंप्यूटर नेटवर्किंग उपकरण
2. यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) और कोटा आरक्षण प्रणाली (क्यूआरएस)
3. नियंत्रण कार्यालय में आवाज डेटा लॉगर प्रणाली
4. स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं से संबंधित उपकरण
5. एसीडी प्रतिष्ठानों के लिए टावर, सौर ऊर्जा पैनल, बैटरी आदि लगाना
6. कोई भी अन्य टेलीकॉम तथा कंप्यूटर नेटवर्किंग संबंधित कार्य जो ऊपर शामिल नहीं किया गया हो ।

4. पंजीकरण के लिए मानदंड:

- 4.1. पंजीकरण के लिए आवेदकों की योग्यता उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी सामान्य जानकारी, उनके विशेष अनुभव, वित्तीय स्थिति, कर्मियों और उपकरणों की क्षमताओं और अन्य प्रासंगिक जानकारी के आधार पर न्यूनतम मापदंडों को पूरा करने पर निर्धारित होगा।
- 4.2. आवेदक द्वारा मूल्यांकन के लिए आवश्यक जानकारी देने में विफल होने पर या दी गयी सूचानाओं पर समय रहते स्पष्टीकरण न देने पर या साबित करने में विफल होने की स्थिति में आवेदक को अयोग्य घोषित किया जा सकता है ।
- 4.3. आवेदक संबंधी सामान्य जानकारी : आवेदक अपने बारे में निम्नलिखित सामान्य

जानकारी देंगे

- अपने फर्म की प्रबंधन संरचना
- कार्यालय में उपलब्ध संचार सुविधाएं (न्यूनतम)
- टेलीफोन / मोबाइल फोन नंबर
- स्थापित ऑफिस / पत्राचार के लिए का पता.
- आयकर पैन नंबर और / या 'टैन नंबर'

- 4.4. **अनुभव:** आवेदकों द्वारा पूर्ववर्ती 3 वर्षों के दौरान किए गए कार्यों (पूरे किये गये एवं चल रहे कार्य) की एक सूची जमा करनी होगी जिस में प्रत्येक कार्य के मूल्य और उन कार्यों के समर्थन में ग्राहको के क्रेडेंशियल/ कार्य समापन प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे।
- 4.5. **कार्मिक क्षमता:** आवेदक को अपनी फर्म की प्रबंधन संरचना के बारे में सामान्य जानकारी की आपूर्ति करनी होगी। इसके अलावा कर्मचारियों की योग्यता के बारेमें निम्ननुसार जानकारी भी वांछनीय है।

श्रेणी – ए के लिये	:	एक स्नातक इंजीनियर 5 से 7 वर्षों के अनुभव के साथ - या दो डिप्लोमा इंजीनियर्स 7 से 10 वर्षों के अनुभव के साथ।
श्रेणी – बी के लिये	:	दो डिप्लोमा इंजीनियर्स 5 से 7 वर्षों के अनुभव के साथ।
श्रेणी – सी के लिये	:	एक डिप्लोमा इंजीनियर 3 से 5 वर्षों के अनुभव के साथ।
श्रेणी – डी के लिये	:	योग्य इंजीनियर जरूरी नहीं।

- 4.6. **मशीनरी /उपकरणों की क्षमताओं की सूची:** यह आवश्यक है की आवेदक यह स्थापित करे कि जिस कार्य के लिये पंजीकृत करने के लिये आवेदन किया है उस कार्य के लिये जरूरी प्रमुख मशीनरी /उपकरण आवेदक के खुद के पास या भाड़े / लीज के माध्यम से पक्के तौर पर उपलब्ध है। यदी कार्य के लिये आवश्यक उपकरण ठेकेदार के पास नहीं है, तो समिति के तकनीकी सदस्य ठेकेदार के पिछले प्रदर्शन और ठेकेदार के आश्वासन पत्र (की वह जरूरी उपकरणों को कार्य संपादन के लिये समय से उपलब्ध करवायेगा) के आधार पर योग्यता तय कर सकते हैं।

- 4.7. **वित्तीय क्षमता:**

आवेदक को जिन कार्यों के लिये पंजीकरण का आवेदन किया है उनकी 'केश फ्लो' की जरूरतों को पर्याप्त रूप से पूरा कैसे किया जा सकता है, वह अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति या उसके पास के 'लिविड एसेट्स' (कार्यशील पूंजी, नकदी और अवचनबद्ध बैंक गारंटी), और अन्य वित्तीय संसाधन एवं क्षमता (किसी भी अनुबंध के अग्रिम भुगतान से स्वतंत्र) के द्वारा दर्शाना होगा।

(i) **कारोबार:** आवेदकों को गत 3 वर्षों के दौरान फर्म के कारोबार संबंधी दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी। **गत 3 वर्षों** का कुल कारोबार उस वर्ग की ऊपरी तय सीमा के 150% से कम नहीं होनी चाहिये जिसके तहत पंजीकरण का आवेदन किया गया है।

(ii) पंजीकरण की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित न्यूनतम ऋण क्षमता इस प्रकार होगी:

श्रेणी 'ए' - ₹ 75 लाख

श्रेणी 'बी' - ₹ 38 लाख

श्रेणी 'सी' - ₹ 18 लाख

श्रेणी 'डी' - ₹ 5 लाख

किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या अनुसूचित बैंक द्वारा जारी किए गए ऋण क्षमता प्रमाण पत्र स्वीकार किये जायेंगे। यह ऋण क्षमता प्रमाणपत्र आवेदन की तारीख से एक साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिये।

4.8. **वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट:** यह खंड उन ठेकेदारों के लिए लागू है, जो पहले से ही (के.आर.सी.एल की) अनुमोदित सूची में दर्ज हैं। पंजीकरण के वर्ग में अपग्रेडेशन / विलोपन / पदावनति के संदर्भ में क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर सी.एस.टी.ई / ई.डी (एस एंड टी) द्वारा अनुमोदन करने के पश्चात उपर्युक्त कार्रवाई आवेदन की प्रोसेसिंग के समय की जायेगी। उपरोक्त सिफारिश के वक्त ठेकेदार की 'संरक्षा चेतना' का स्तर भी विचार हेतु दर्ज किया जाएगा।

4.9. **मुकदमेबाजी का इतिहास:** आवेदक को आवेदन की तारीख से पिछले पांच वर्षों के दौरान खत्म हुए या चल रहे अनुबंधों से उत्पन्न किसी भी मुकदमेबाजी या मध्यस्थता के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करनी होगी। आवेदक या उनके कोई साथीदार के लगातार खिलाफ हुये फैसलों का इतिहास आवेदक को अयोग्य घोषित कर सकता है।

5. अयोग्यता:

हालांकि आवेदक मानदंडों को पूरा करते हैं, फिर भी वे अयोग्य घोषित हो सकते हैं अगर आवेदक या अपने घटक भागीदारों में से किसी ने भी:

- (i) प्रस्तुत बयानों और संलग्नक में भ्रामक या गलत रूप से जानकारी दी हो, या
- (ii) पिछले 5 वर्षों (आवेदन की तारीख से) के दौरान काम के खराब प्रदर्शन का रिकॉर्ड पाया जाता है, जैसे कि ठेकेदार द्वारा कार्य अधूरा छोड़ना, अनुबंध खत्म करना, कार्य पूरा करने में अत्याधिक देरी, ठेकेदार के खिलाफ लगातार खिलाफ हुये फैसलों का इतिहास, वित्तीय घाटा या
- (iii) के.आर.सी.एल द्वारा उसे पहले कभी निकाल दिया गया हो ।

6. के.आर.सी.एल के अधिकार:

- (i) यदी परिस्थितिवश समस्त हितों को ध्यान में रखते हुये अगर जरूरी हो तो आकलन हेतु, केआसीएल स्वतंत्र रूप से आवेदक के बैंकर्स, अन्य संगठनों (जहां आवेदक पंजीकृत हैं) या जहां से आवेदकों द्वारा दी गई जानकारी की प्रामाणिकता सत्यापित हो सकती है, ऐसी जगहों से जानकारी प्रमाणित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है ।
- (ii) पंजीकरण, नवीनीकरण, रद्दीकरण, काली सूची में डालना, श्रेणी में वृद्धि या कमी, आदि के मामलों में कोकण रेलवे प्रशासन के सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
- (iii) योग्यता मानदंडों में सुधार / संशोधन करने, पूर्व योग्यता प्रक्रिया को रद्द करने और बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार के.आर.सी.एल सुरक्षित रखती है और इस के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

7. पंजीकरण की वैधता:

- 7.1. एक बार ठेकेदार के अनुमोदित सूची में शामिल होने पर उसकी वैधता की अवधि तीन साल की होगी, अगर उसे वार्षिक समीक्षा के दौरान या तो रद्द ना किया गया हो या 'काली सूची' में न डाला गया हो या अनुमोदित सूची की वैधता ही पूर्ण रूप से समाप्त की गयी हो, (इन में से जो भी पहले होगा वह लागू होगा)।
- 7.2. प्रत्येक वर्ग के लिए ओपन लाइन और निर्माण / परियोजना संगठनों की अलग अलग अनुमोदित सूची होगी ।

8. पंजीकरण के लिए शुल्क का भुगतान

8.1. आवेदन शुल्क (अप्रतिदेय):

आवेदन फार्म की प्राप्ति के लिये आरंभिक भुगतान की राशि ₹1,000/- आवेदक द्वारा देय होगी। आवेदक अगर वेबसाइट से [आवेदन फार्म को डाउनलोड](#) (इस लिंक के माध्यम से) करते हैं तब आवेदन फार्म जमा करते वक्त ₹1,000/- की राशि का भुगतान करना होगा।

8.2. पंजीकरण शुल्क (अप्रतिदेय):

‘स्वीकृत ठेकेदारों की सूची’ में पंजीकरण के लिए योग्य पाये जाने पर, ठेकेदारों को निम्नलिखित राशि शुल्क के रूप में देय होगी।

- ₹ 5,000/- श्रेणी “डी” के लिये।
- ₹ 7,500/- श्रेणी “सी” के लिये।
- ₹ 10,000/- श्रेणी “बी” के लिये।
- ₹ 15,000/- श्रेणी “ए” के लिये।

यह शुल्क उपरोक्त पैरा 7 में बतायी गयी “पंजीकरण की वैधता” अवधि के लिये लागू होगा।

8.3. **डाक खर्च:** ‘स्वीकृत ठेकेदारों’ की सूची में पंजीकरण होने के पश्चात ठेकेदारों को निविदा सूचना प्राप्त करने के लिए सालाना ₹1,000/- के डाक खर्च का भुगतान समयसे करना होगा।

8.4. स्थायी बयाना राशि (एस.ई.एम.डी) :

- अनुमोदित सूची (ए.एल.सी) में आवेदक का चयन होने पर उसे निम्नलिखित स्थायी बयाना राशि (एस.ई.एम.डी) जमा करने के लिए सूचना दी जायेगी। बयाना राशि किसी राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक से जारी ‘डी.डी’ या ‘एफ.डी.आर’ (3 साल के लिए वैध) के रूप में कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई में देय होगी।

श्रेणी	कार्य के लिये अनुमानित मूल्य	स्थायी बयाना राशि
ए	₹ 50 लाख से अधिक और ₹ 1 करोड़ तक	₹ 1,50,000/-
बी	₹ 25 लाख से अधिक और ₹ 50 लाख तक	₹ 75,000/-
सी	₹ 10 लाख से अधिक और ₹ 25 लाख तक	₹ 35,000/-
डी	₹ 10 लाख तक	₹ 15,000/-

ii) यदी ठेकेदार ने एक से ज्यादा श्रेणी में पंजीकरण के लिये आवेदन किया है तब उसे सिर्फ उस उच्चतम श्रेणी के लिये एस.ई.एम.डी जमा करनी होगी जिस में वह योग्य घोषित किया गया हो ।

iii) हालांकि एक विशेष श्रेणी के लिये स्थायी बयाना राशि, संबंधित खुली लाईन संगठन और निर्माण/ परियोजना संगठन में अलग से जमा करनी होगी ।

8.5. ठेकेदार को सूचित करने के एक महीने के भीतर उन्हें जरूरी स्थायी बयाना राशि, पंजीकरण शुल्क और डाक खर्च जमा करना होगा । प्राप्त बयाना राशि, पंजीकरण शुल्क और डाक शुल्क को एस एंड टी विभाग के संबंधित रजिस्टर में दर्ज कर उसकी सुरक्षित अभिरक्षा हेतु वित्त विभाग को सौंपा जायेगा । जरूरी शुल्क जमा करने के लिए ठेकेदार को पुनःअनुस्मारक जारी नहीं किया जाएगा ।

9. नामो का जोड़ना / हटाना

9.1. अनुमोदित सूची में ठेकेदारों के नाम हटाने के लिए हर साल समीक्षा की जाएगी, जो कि 1 जुलाई से लागू होगी और सूची में ठेकेदारों के नाम जोड़ने का काम हर छह महीने में एक बार किया जाएगा, जो 1 जनवरी और 1 जुलाई से प्रभावी होगा ।

9.2. ठेकेदारों की अनुमोदित सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित दिशा निर्देशों के आधार पर हो सकती है:

- i) यदि ठेकेदार सूचीत करने के एक महीने के भीतर स्थायी बयाना राशि, पंजीकरण शुल्क और डाक खर्च जमा नहीं करता है, तो उसका नाम अनुमोदित सूची से हटा दिया जाएगा।
- ii) यदी ठेकेदार स्थायी बयाना राशि (एफडीआर के मामले में) वैधता समाप्ति तिथि के 30 दिनों के भीतर नवीनीकरण करने में विफल होता है (एफ.डी.आर अवधि की समाप्ति के बारे में एजेंसी को कोई अनुस्मारक नहीं दिया जाएगा) ।
- iii) यदी 'वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट' में ठेकेदार के प्रदर्शन की रिपोर्ट 'प्रतिकूल' पायी जाती है।
- iv) ठेकेदार के कारण अनुबंध का रद्द होना [इस विषय में मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर/ कार्यकारी निदेशक (सं. एवं दू) का निर्णय अंतिम निर्णय होगा] ।
- v) फर्म द्वारा या फर्म के किसी भागीदार का 'इनसोल्वेंट' या 'दिवालिया' घोषित होना ।
- vi) यदी ठेकेदार लगातार 3 साल से ज्यादा वक्त तक अपनी पंजीकृत श्रेणी में कार्य के वर्ग संबंधी के.आर.सी.एल द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग नहीं लेता है।
- vii) यदि ठेकेदार लगातार अनुचित रूप से 'बहुत उच्च' / 'बहुत कम' दरों की बोली लगाता है।

- viii) यदि ठेकेदार अन्य पंजीकृत ठेकेदारों / एजेंसियों के साथ गुटबाजी कर बोली लगाता है।
- ix) यदी ठेकेदार किसी भी गैरकानूनी गतिविधियों में संलग्न पाया जाता है ।

10. निविदा सूचना जारी करने के संदर्भ में

- i) सीमित निविदाओं को 'स्वीकृत ठेकेदारों की सूची' में पंजीकृत संबंधित ठेकेदारों को जारी किया जायेगा ।
- ii) यदी समग्र कार्य में विभिन्न वर्ग के कार्य जुड़े हुए हैं तो जिस वर्ग का अनुमानित मूल्य सर्वाधिक हैं उसी वर्ग का चयन इस समग्र कार्य के वर्ग के लिये होगा ।
- iii) निविदा सूचना प्राप्त करने के बाद, ठेकेदार 'निविदा दस्तावेज' की लागत अदा कर निविदा दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं । अगर 'निविदा दस्तावेज' वेबसाईट से डाउनलोड कर भरा गया हो तो ठेकेदार को दस्तावेज की लागत की राशि (डी.डी के रूप में) सीलड निविदा दस्तावेज के अंदर संलग्न करनी होगी ।
- iv) उच्च मूल्य के स्लैब के वर्ग में पंजीकृत ठेकेदार को निचले मूल्य के स्लैब के वर्ग में कार्य के लिये तब तक निविदा की सूचना नहीं भेजी जायेगी, जब तक वह कार्य के उस निचले मूल्य के स्लैब के वर्ग में भी पंजीकृत ना हो ।
- v) यदी एक विशेष श्रेणी / वर्ग में निविदा आमंत्रित करने के लिए पंजीकृत सूची में पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं हैं, तब मामला सिफारिश (यदी कोई हो तो) के साथ मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर/ कार्यकारी निदेशक (सं. एवं दू) के पास निर्णय के लिये भेजा जाएगा।

सिगनल एवं दूरसंचार संबंधित कार्य

पंजीकरण के लिये फार्म

[कृपया जानकारी 'ठेकेदारों के पंजीकरण संबंधी नीति परिपत्र' के अनुसार भरें]

1.	ठेकेदार का नाम और पता.	:									
2.	संपर्क- टेलीफोन / फैक्स / ईमेल / वैबसाइट	:									
3.	पैन नंबर	:									
4.	कार्य का अनुभव (पिछले 03 वर्षों के दौरान, आवेदन की तारीख से)	:									
क.	पूरे किये गये कार्य										
ख.	प्रदत्तित/चल रहे कार्य	:									
5	वित्तीय क्षमता	:									
क.	पिछले 03 वर्षों के दौरान हुआ वित्तीय कारोबार (वर्तमान वित्तीय वर्ष से पहले)	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">वर्ष *</th> <th style="width: 70%;">कारोबार [रूपये (₹)]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021-22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020-21</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019-20</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> (*) वर्तमान वर्ष 2022-23 के लिए ।	वर्ष *	कारोबार [रूपये (₹)]	2021-22		2020-21		2019-20	
वर्ष *	कारोबार [रूपये (₹)]										
2021-22											
2020-21											
2019-20											
ख.	'ऋण क्षमता प्रमाणपत्र' का विवरण (आवेदन की श्रेणी से संबंधित किसी राष्ट्रीयकृत / शेड्यूल्ड बैंक द्वारा जारी 'ऋण क्षमता प्रमाणपत्र' ही संलग्न करें)	:									
6	कार्मिकों की सूची (साक्षात्कृत शैक्षिक योग्यता तथा कार्य अनुभव का प्रमाणपत्र संलग्न करें), सिर्फ 'साईट इंजीनियरों' और 'साईट सूपरवाइजर्स' के लिये	:									
7	उपलब्ध संयंत्र एवं मशीनरी की सूची (आवेदन से संबंधित कार्य वर्ग के लिये सूची संलग्न करें)	:									
8	मुकदमेबाजी का इतिहास (यदी हो तो)	:									